न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, अम्बेडकर नगर

UPAN010007452026

Bail Application/197/2026

सुरेन्द्र आयु लगभग 45 वर्ष पुत्र पंचराम, निवासी ग्राम नया नगर नैली, थाना–सम्मनपुर, जिला–अम्बेडकरनगर।

————————————————————**अभियुक्त**

बनाम

उ0प्र0 सरकार ————————————————————————————**अभियोजन पक्ष**

मु0अ0सं0–257/2024
धारा–115(2),352,351(3),110 बी.एन.एस.
थाना–सम्मनपुर, जिला–अम्बेडकर नगर।

09.03.2026

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी०एन०एस०एस० के अधीन आवेदक/अभियुक्त सुरेन्द्र की ओर से मु०अ०सं०–257/2024 अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 110 बी०एन०एस०, थाना सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 11.12.2024 को समय लगभग 14.11 बजे वादी मुकदमा अंगद द्वारा सम्बन्धित थाने में इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 8.00 बजे रात्रि को विपक्षीगण पंचराम, सुरेन्द्र, योगेन्द्र व गोलू अपने अपने हाथो में लाठी, डन्डा, कुल्हाडी लेकर उसके दरबाजे पर आये और मां बहन की भद्दी–भद्दी गाली देने लगे। उसके भाई निगम ने माना किया, तो विपक्षीगण उसके भाई को मारने लगे। जब वह बीच बचाव करने के लिये दौड़ा, तो विपक्षीगण ने उसे भी लाठी से मारा पीटा। इसी बीच सुरेन्द्र ने निगम के ऊपर जोरदार वार किया, जिससे उसका सर फट गया और वह गिर गया। वह जान बचाकर अपने घर के अन्दर भागा, तो विपक्षीगण घर के अन्दर घुस कर उसे भी मारा पीटा। हल्ला गोहार पर गाँव के तमाम लोग आये, तो विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। अतः विपक्षीगणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध मु०अ०सं०–257/2024 अन्तर्गत धारा– 115(2), 333, 352, 351(3) बी०एन०एस० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्बन्धित विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 115(2), 352, 351(3), 110 बी०एन०एस० आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आवेदक/अभियुक्त ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुये संक्षेप में कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है। घटना के समय रात थी और गांव में काफी सकरा रास्ता है। चोटहिल सुरेन्द्र को मारकर भाग रहा था और एक ईट के चट्टे से टकरा गया और उसके ऊपर ईट गिर गयी, जिससे उसे चोट आयी है। उनके द्वारा मारा पीटा नहीं गया है, जबकि उन लोगो द्वारा उन्हें ही मारा पीटा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से लिखाई गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation & Ors. SLP (Crl) No. 5191 of 2021** में उद्धृत सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक, समय व स्थान पर आवेदक व अन्य अभियुक्तगण ने मिलकर वादी मुकदमा व उसके भाई को गाली गलौज देते हुये लाठी, डण्डो से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देकर चले गये। पत्रावली पर उपलब्ध आहतगण के आघात प्रतिवेदन व एक्स–रे रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आहत अंगद कुमार के शरीर पर कुल तीन चोटें पायी गयी, जिनमें चोट नं०–1 खरास 4.0 से.मी. गुणा 1.0 से.मी. गर्दन पर दाहिनी तरफ तथा चोट नं०–2 व 3 दर्द की शिकायत है तथा आहत निगम कुमार के शरीर पर कुल सात चोटें पायी गयी, जिनमें चोट नं०–1 सिला घाव 4.5 से.मी. सिर पर दाहिनी तरफ,

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.10 12:29:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चोट नं०–2 खरास 3.0से.मी. गुणा 1.0 से.मी. गर्दन पर दाहिनी तरफ, चोट नं०–4 खरास 3.0से.मी. गुणा 1.0 से.मी. पीठ पर बायी तरफ तथा चोट नं०–3,5,6 व 7 दर्द की शिकायत है और आहत निगम कुमार के एक्स–रे रिपोर्ट में Fronto&parietal में फ्रैंक्चर होना दर्शित है। एक्स–रे प्लेट के अवलोकन से Crack fracture है न कि Depressed सिर पर दूसरा वार नहीं है। प्रकरण का क्रास केस होना कहा गया है। इस स्तर पर यह निर्धारित किया जाना सम्भाव्य नहीं है कि मारपीट की घटना में कौन सा पक्ष अग्रेसर रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मै पाता हूँ कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सुरेन्द्र की ओर से मु०अ०सं०–257/2024 अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 110 बी०एन०एस०, थाना सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में प्रस्तुत **अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र** स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तारी की दशा में मु०–50,000/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत वन्ध–पत्र एवं इसी धनराशि की एक प्रतिभू लेकर निम्नलिखित शर्तो के अधीन छोड़ दिया जाय।

1. आवेदक/अभियुक्त प्रकरण के विचारण में पूर्ण रुप से सहयोग करेगा अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं प्रस्तुत करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर समक्ष न्यायालय उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से न तो डरायेगा न ही धमकायेगा और किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में विचारण न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

दिनांकः 09.03.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1,
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ. कोड–यू.पी.6067